

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 699 / 11-सी-FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 27, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं०-0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/251/2021/एफ०सी०/715, दिनांक 04.02.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-888/मी०क्षे०/33, दिनांक 25.08.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-888/मी०क्षे०/33, दिनांक 25.08.2025 द्वारा इस कार्यालय को अपलोड कर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
Lalit Kumar Verma
Date: 27-08-2025
16:19:52
(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 699 / 11-सी-FP/UP/Road/59458/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत प्रकरण के अद्यतन स्थिति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर Proposal का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

आज्ञा से

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

P-237